सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी
SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY
(भारत सरकार : गृह मंत्रालय) **(Government of India : Ministry of Home Affairs)**
हैदराबाद : **Hyderabad– 500 052.**

Inter Office Note

Sub : **Notified Recruitment Rules for the post of Lower Division Clerk -Reg**

A copy of notified Recruitment Rules for the post of Lower Division Clerk is enclosed herewith for uploading the same in the Academy website under "Recruitment Rules" column.

(Dr. K. Madhukar Shetty)
Deputy Director (Estt)

The Assistant Director (IT)
SVP NPA,Hyderabad.

No.19011/1/2009/Estt/RRs/LDC/A-5 –LDC Dated 22nd Feb, 2018

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 4] नई दिल्ली, जनवरी 21—जनवरी 27, 2018, शनिवार/माघ 1—माघ 7, 1939

No. 4] NEW DELHI, JANUARY 21— JANUARY 27, 2018, SATURDAY/ MAGHA 1— MAGHA 7, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 43.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (अराजपत्रित और अनुसचिवीय कर्मचारी) भर्ती नियम, 1987 को जहां तक उनका संबंध अवर श्रेणी लिपिक के पद से संबंधित है उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में अवर श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम – सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, (अवर श्रेणी लिपिक) भर्ती नियम, 2017 है।

(ii) ये, राजपत्र में प्रकाषन की तारीख से लागू होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं आदि.**–भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**– वह व्यक्ति,–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **षिथिल करने की षक्ति.**– जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह कारण को लेखबद्ध कर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेष द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**– इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अवर श्रेणी लिपिक	13* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर – 2 (रु. 19900–63200)	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा	सीधे भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दषा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1** : आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अन्य राज्यों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय,	**आवश्यक :** **षैक्षणिक अर्हता –** 1. मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं या इंटरमीडियट उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. अंग्रेजी टंकण में 35 शब्द प्रति मिनट की गति या हिंदी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति केवल कम्प्यूटर पर होना चाहिए (आवंटित समय 10 मिनट) (35 शब्द प्रति मिनट और 30 षब्द प्रति मिनट में प्रत्येक शब्द के लिए 5 कुंजी डिप्रेशन्स की	आयु – नहीं षैक्षणिक अर्हताएं – हाँ	दो वर्ष

अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू– कश्मीर राज्य का लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले, तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) **टिप्पण 2** : रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	औसत पर 10500 केडीपीएच या 9000 केडीपीएच के अनुरूप होना चाहिए।)		

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिषतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
(10)	(11)
10 प्रतिशत रिक्तियाँ पदोन्नति और 90 प्रतिशत रिक्तियाँ प्रतिनियुक्ति अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएगी	**प्रोन्नति** : वेतन मैट्रिक्स स्तर –1 (रु. 18000–56900) (नियमित स्थापना पर) में समूह 'ग' कर्मचारियों द्वारा भरी जाएंगी निम्नलिखित शर्तों के अधीन – i. वेतन मैट्रिक्स स्तर–1 (रु. 18000–56900/–) समूह 'ग' कर्मचारियों जिनके पास स्तंभ 7 में उल्लेखित शैक्षिणक अर्हता है, हेतु सीमित विभागीय परीक्षा में चयन किया जाएगा। ii. अधिकतम आयु–सीमा 45 वर्ष होगी । iii. वेतन मैट्रिक्स स्तर–1 (18000–56900/–) में न्यूनतम 3 वर्षीय नियमित सेवा । प्रतिनियुक्ति – केन्द्र सरकार में – 1. सदृश्य पद रखने वाले तथा 2. स्तंभ 7 में दी गई शैक्षणिक अर्हता रखने वाले कर्मचारी । **टिप्पणी 1** : उसी या कोई अन्य केन्द्रीय सरकार के संगठन में इस नियुक्ति से तत्काल पहले अन्य पूर्व काडर के पद पर होने में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। **टिप्पणी 2** : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु–सीमा आवेदन को प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

यदि विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार हेतु) विद्यमान हैं तो उसका संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह – ग विभागीय पदोन्नति समिति – 1. उप निदेशक – अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक – सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 23011/21/2017–पीटी]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 21st December, 2017

G.S.R. 43.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Non-Gazetted Ministerial Staff) Recruitment Rules, 1987, in so far as it relate to the post of Lower Division Clerk, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Lower Division Clerk in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad under the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad (Lower Division Clerk) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the above said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-Servicemen, the Other Backward classes and the other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay Matrix	Whether Selection Post or Non-Selection Post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lower Division Clerk	13* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-C, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 2 (Rs. 19900-63200/-).	Selection.

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto forty years for general candidates and upto forty five years for candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not closing date prescribed for those in) Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	**Essential :** (i) 12^{th} or Intermediate pass from a recognised Board or University; and (ii) speed in English typing @ 35 words per minute or speed in Hindi typing @ 30 words per minute only on computer. (time allowed – 10 minutes) (35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 key depression per hour or 9000 key depression per hour on an average of 5 Key depressions for each word).	Age – No. Educational Qualifications – Yes.	Two years.

Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
10% by Promotion; and 90% by deputation failing which by direct recruitment.	**Promotion**: From amongst Group `C' employees, in Level-1 (Rs. 18000-56900/-) in the pay matrix (Borne on regular establishment) subject to the following conditions:-  (i) selection shall be made in a departmental examination confined to Group `C' employees in Level-1 (Rs. 18000-56900/-) in the pay matrix, who possess educational qualification mentioned in Column 7; (ii) maximum age-limit shall be forty-five years; and (iii) at least three years regular service in Level-1 (Rs. 18000-56900/-) of the pay matrix. **Deputation:** Officers under the Central Government holding (i) analogous posts and (ii) possessing the educational qualifications laid down under column (7). **Note 1 :** The Period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2 :** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

If a Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group `C' Departmental Promotion Committee for consisting of :- (i) Deputy Director - Chairman; (ii) Assistant Director –Member; and (iii) Administrative Officer –Member.	Not applicable.

[F. No. 23011/21/2017-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.02.17 15:53:09 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.